राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान,जयपुर

क्रमांकःइ–20 / म0स्वा0कार्य0 / टी–52 / 2019 / 1136 दिनांक.– 24.07.19

आदेश

श्रीमती तारा कुमारी की नियुक्ति दिनांक 01.12.1990 को महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद पर की गई। इनके विरुद्व शैक्षणिक योग्यता के संबंध में कक्षा 8 की फर्जी टीसी प्रस्तुत करने के संबंध में विभागीय जॉच होने के कारण मुख्य चिकत्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी, झुन्झुनू के आदेश क्रमांक 2249–52 दिनांक 02.03.1996 को निलम्बित किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय पीठ, जयपुर में सिविल रिट पिटिशन नं 1620/96 द्वारा उक्त आदेश के विरुद्व दिनांक 27.03.1996 को स्थगन आदेश प्राप्त करने पर आदेश क्रमांक 3072–77 दिनांक 03.04.1996 द्वारा पुनः कर्तव्य पर लिया गया एवं याचिका संख्या 1620/1996 तारा कुमारी बनाम राजस्थान राज्य सरकार में दिये गये अंतिम निर्णय दिनांक 04.02.1998 एवं माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार विभागीय जॉच में जॉच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जॉच रिपोर्ट के अनुसार जॉच में आरोप सिद्व पाये जाने पर आदेश क्रमांक 1048–56 दिनांक 24.06.2000 द्वारा श्रीमती तारा कुमारी को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया गया।

उक्त आदेश के विरुद्व माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर में दायर एस.बी.सिविल रिट पिटिशन संख्या 2956/2000 द्वारा आगामी आदेशो तक उक्त आदेश की पालना स्थगित रखे जाने हेतु पूर्ववत कार्यरत रखे जाने के निर्देश दिये गये की अनुपालना में कार्मिका द्वारा 18.07.2000 को मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी, झुन्झुनू को उपस्थिति प्रस्तुत की।

एस.बी. सिविल रिट संख्या 2956/2000 माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा दिनांक 08.08.2017 को निर्णय पारित किया है जो निम्नानुसार हैः–

I have heard the submissions find that the qualifications required for the post of Woman Health Worker was class VIII. She was appointed on 01.12.1990 and had passed class VIII exam and it is after 10 years that the respondents have terminated her services treating the TC considering her percentage of marks was only 56% and not 62.05%. Submission of the counsel for the respondents is that there may be someone else more meritorious (Downloaded on 23/07/2019 at 02:57:08 PM) (3 of 3) [CW-2956/2000] than the petitioner who would have been appointed is too hypothetical. There is no such basis to reach to such conclusion nor any other candidate has been shown to have been deprived of appointment on account of the so called miscalculation of percentage of the petitioner. Finding that there is no forgery committed, the petitioner has already been discharged in the criminal case. Taking into consideration that no challenge has been made to the said discharge order; in departmental proceedings, such complicated question cannot be decided finding contrary to the offence of the criminal Court relating to

forgery which requires such offence to prove the same cannot be presumed theorititcally. Once a person is discharging of offence of forgery one cannot hold him guilty of forgery in departmental proceedings.

The petitioner has continued in service in view of the interim order passed by this Court. Accordingly, this writ petition is allowed, while quashing the order dated 24.06.2000 it is held that petitioner is entitled to continue in service with all consequential benefits; her pay fixation be now done and salary be now calculated and paid to her for the entire intervening period. The arrears and calculation thereof be done within period of three months from the date of receiving certified copy of this order. The writ petition is accordingly allowed

माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.08.2017 की अनुपालना में विभागीय आदेश दिनांक 24.06.2000 को निष्प्रभावी करते हुए याचिकाकर्ता की सेवा को नियमित माने जाने के साथ ही सभी आनुषांगिक लाभ, पै फिक्शेसन, वेतन आदि की गणना कर नियमानुसार भुगतान किये जाने की एतद् द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

Sd
(मुकुल शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं
राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः ई–20/म0स्वा0कार्य0/टी–52/2019/1136 दिनांकः–24.07.19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 उप शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य ग्रुप–3 विभाग, राजस्थान, जयपुर को उनके आईडी क्रमांक 27.03.2019 के क्रम में।
2 अतिरिक्त महाद्यिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय,जयपुर।
3. उप विधि परामर्शी, मुख्यालय।
4 संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐ, जोन–जयपुर।
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुन्झुनू।
6 खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उदयपुरवाटी समन्वयक को भेजकर लेख है कि उक्त प्रकरण में उपरोक्तानुसार माननीय न्यायालय में अवमानना संख्या 1544/2018 को खारिज करावें।
7. याचिकाकर्ता श्रीमती तारा कुमारी, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता को रिट में उल्लेख पते पर।
8. प्रभारी सर्वर रुम, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि वैबसाईट पर अपलोड करें।
9. आदेश/रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं
राजस्थान, जयपुर